2

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय गुमला।
(विधि शाखा)
अधिहरण (Confiscation) वाद सं0–31/2023–24

सरकार

–बनाम–

राजपति साहु वगै0

आ दे श

पुलिस अधीक्षक, गुमला ने पत्रांक –1453/अप0शा0 दिनांक – 31.05.2023 के द्वारा वादी श्री रामनाथ राय पे0–श्री भगसागर राय सा0–नारायणपुर थाना–तरैया जिला–छपरा बिहार जिला खनन पदाधिकारी गुमला के लिखित आवेदन के आधार पर पालकोट थाना काण्ड सं0–14/2023 दिनांक–13.04.2023 धारा–379/411 भा0द0वि0 13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक परिवहन और भंडारण) नियम–2017, 54 झारखण्ड लघु खनिज समानुदान नियमावली–2004 तथा 21 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम–1957 के तहत् अवैध रुप से बालू उठाव एवं परिवहन करने के आरोप में जप्त ट्रैक्टर रजि0 सं0–JH20E-5947 के मालिक राजपति साहु पे0–लोहरा साहु सा0–करौन्दी, हन्सलता थाना–गुमला जिला–गुमला एवं ट्रैक्टर रजि0 सं0–JH20E-1883 के मालिक लालु उरॉव पे0–हरबु उरॉव सा0–टेंगरा थाना–बसिया जिला–गुमला के विरुद्ध राजसात की कार्रवाई करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त है।

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि लालु उरॉव पे0–हरबु उरॉव साकिन– टेंगरा थाना–बसिया जिला–गुमला का जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं0– JH20E- 1883 पालकोट थाना काण्ड सं0–14/2023 में अवैध खनन एवं परिवहन करने के आरोप में जप्त किया गया है। जप्त वाहन के मालिक के द्वारा भविष्य में इस तरह का पुनरावृति होने पर 10000.00 (दस हजार रुपये) का बंध पत्र समर्पित किया गया है,तथा उक्त वाहन एवं डाला को मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (द्वितीय संशोधित) नियमावली 2017, के नियम–54(6) में खनिजों के मूल्य के स्थान पर खनिजों के मूल्य के दोगुणी राशि के बराबर दण्ड वसूलनीय है।

अतः जिला खनन पदाधिकारी गुमला को निदेशित किया जाता है कि पालकोट थाना काण्ड सं0–14/2023 में जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं0– JH20E- 1883 में पायी गयी खनन वस्तुओं के मात्रा के आधार पर दण्डनीय राशि वसूल करते हुए सरकारी कोष में उक्त राशि को जमा कर दी जाय, साथ ही दण्डनीय राशि जमा करने के उपरान्त जप्त ट्रैक्टर निबंधन सं0– JH20E- 1883 को विमुक्त किया जाय।

शेष इस काण्ड में जप्त वाहन को The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) 2017 के Rule 7 में यह अंकित है कि:–

(1) "No person other than a dealer or a mining lease holder shall buy or store or sell or offer for sale or engage in any transaction of buying, selling, processing any

Scanned with OKEN Scanner

mineral at any place or transport mineral for commercial gain without being registered as a dealer."

(2) Rule 11 (V) के अनुसार Any minerals tool equipment, vehicle or any thing seized shall be liable to be confiscated by an order of the court of the Deputy Commissioner of the concerned district and shall be disposed of in accordance with direction of such court.

(3) National Green Tribunal Principal Bench New Delhi के मूल आवेदन सं0–360/2015 प्रतिवेदित तिथि 15.01.2021 में यह अभिकथन किया गया है कि "Another issue bearing on the enforcement mechanism is the action against the vehicles used in illegal sand mining. Seizure of such vehicles is required and release of seized vehicles lightly defeats the purpose of the coercive measures. Since the vehicles are in a way weapon of offence,the same cannot be dealt with in the manner disputed property is dealt with under section 451 Cr.PC. by releasing the same in favour of the ostensible owner by taking an entrustment /indemnity bond/sapurdginama. In Sujit Kumar Rana"

अंकनीय है कि इस तरह के मामलों में उपयोग किये जाने वाले वाहन एवं डाला में पंजीकरण संख्या नही रहती है, तथा वाहनों से संबंधित वैध कागजात नही होने के कारण उसको अवैध रुप से परिवहन कार्य कराया जाता है। जिससे यह प्रतीत होता है कि जप्त पत्थर एवं वाहन का परिवहन माईनिंग प्रावधानों के विरुद्ध किया गया है। उक्त वाहन एवं बालू के संबंध में claim (दावा) नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचारोपरान्त तथा N.G.T. न्यायालय नई दिल्ली के निर्णय के आलोक में उक्त जप्त बालू एवं जप्त जप्त ट्रैक्टर रजि0 सं0 –JH20E- 5947 को राजसात करता हूँ।

आदेश के प्रति सभी संबंधित अधिकारी एवं थाना प्रभारी को दें।

लेखापित एवं संशोधित

Sd/- 09.03.23
उपायुक्त,
गुमला

Sd/- 09.03.23
उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by KARN SATYARTHI
Date: 2024.06.29 16:26:19 +05:30
Location: 192.168.29.195

Scanned with OKEN Scanner